राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 486/2015/बांसवाड़ा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मोनिका ट्रेडर्स, कुशलगढ़, बांसवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 03/01/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 65/वेट/13–14/बांसवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.10.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, वृत–बांसवाड़ा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.01.2014 को चैकिंग के दौरान मैसर्स शीतल कॉटन इण्डस्ट्रीज, कुशलगढ़ के व्यवसाय स्थल पर वाहन संख्या आर.जे.03/जीए–1476 से लाये गये माल 4 टन कपास से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इस बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब दिनांक 17.01.2014 प्रस्तुत करते हुए चालान संख्या 04 दिनांक 09.01.2014 प्रस्तुत किया गया एवं कथन किया कि उनके द्वारा उक्त माल मैसर्स शीतल कॉटन इण्डस्ट्रीज को जॉब वर्क हेतु भिजवाया गया है। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब एवं बिल को पश्चातवर्ती सोच मानते हुए अस्वीकार किया तथा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 17.01.2014 पारित करते हुए शास्ति रूपये 72,000/– एवं वैट रूपये 12,000/– का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं पाये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वेट एवं शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रथमतः माल व्यवसाय स्थल पर वाहन से अनलोड किये जाने के पश्चात् चैक किया गया है, जिस पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इससे अतिरिक्त माल से सम्बन्धित बिल सक्षम अधिकारी को उसी दिन अर्थात् चैकिंग की दिनांक को ही प्रस्तुत कर दिया गया। विवादित माल का जमाखर्च प्रेषक/प्रेषिति व्यवहारी की लेखा—पुस्तकों में किया हुआ है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति एवं वैट का आरोपण विधिविरूद्ध किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसमें उनके द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि माल मैसर्स शीतल कॉटन इण्डस्ट्रीज के व्यवसाय स्थल पर चैक किया गया है, अर्थात् वाहन के बाहर चैक किया गया है एवं माल का गमनागमन समाप्त हो चुका था, जिस पर वेट अधिनियम की धारा 76(2)/(6) के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उसी दिन नोटिस का जवाब प्रस्तुत करते हुए माल से सम्बन्धित बिल संख्या 04 दिनांक 09.01.2014 भी प्रस्तुत कर दिया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा किसी जांच से उक्त बिल को मिथ्या/कूटरचित प्रमाणित नहीं किया गया है। केवल पश्चातवर्ती सोच मानते हुए अस्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। उक्त माल का जमाखर्च प्रेषक एवं प्रेषिति व्यवहारी की लेखा—पुस्तकों में किया हुआ है। ऐसी स्थिति में सक्षम

लगातार.....3

अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए शास्ति/वैट का आरोपण किया जाना पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के मद्देनजर व्यवहारी की अपील स्वीकार की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में राजस्व की अपील बलहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य